

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 9(4) राज/वाद/88,पार्ट

जयपुर दिनांक 09-06-2021

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष उद्भूत राजस्थान राज्य की ओर से प्रकरणों को प्रस्तुत करने एवं पैरवी करने हेतु श्री विनायक भण्डारी, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक डी/738/2013) को तत्काल प्रभाव से निम्न शर्तों के अधीन अस्थाई तौर पर पैनल लॉयर नियुक्त किया जाता है:-

इनकी नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगी:-

1. उन्हें प्रारूपण फीस विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 05.06.2015 के अनुसार देय होगी।
2. यह नियुक्ति विधि विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों एवं आदेशों के अधीन होगी तथा इनकी सेवायें किसी भी समय बिना नोटिस दिये व बिना कारण बताये इस विभाग द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
3. उपरोक्त पैनल लॉयर माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली/उच्च न्यायालय, नई दिल्ली व दिल्ली स्थिति अन्य न्यायालयों, अधिकरण/प्राधिकारी के समक्ष राजस्थान राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकरण को प्रस्तुत करने व पैरवी करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
4. वे राजस्थान राज्य के विरुद्ध किसी भी मामलों में किसी भी प्रकार का परामर्श देने के लिए वर्जित होंगे।
5. उन्हें प्रकरणों का आवंटन विधि विभाग द्वारा किया जावेगा।

आज्ञा से,

ह०


(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय/माननीय मुख्यमंत्री/विशेषाधिकारी (वाई), माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष/सचिवालय के समस्त विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/सचिव राजस्थान विधानसभा, जयपुर/सचिव, लोकायुक्त/निदेशक, जनसम्पर्क, जयपुर।
5. समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजस्थान।
6. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर/महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर/समस्त अति० महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
9. संबंधित अभिभाषक।
10. सचिव, भारत सरकार गृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय, नई दिल्ली।
11. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
12. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

लगातार.....

13. सचिवालय के समस्त अनुभाग/प्रकोष्ठ/विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
14. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
15. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
16. राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
17. समस्त गवर्नमेंट काउन्सिल/एडि० गवर्नमेंट काउन्सिल/डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
18. आहरण एवं वितरण अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, वादकरण जयपुर।
19. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
20. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
21. रक्षित पत्रावली।


०९/०६/२०२१
(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि